

## सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	मई 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8114	798	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1353	2	--	-
3	असम	4337	53	--	-
4	बिहार	6834	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4338	--	1	5000
6	गोवा	583	293	--	-
7	गुजरात	13379	473	--	-
8	हरियाणा	2034	1183	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	--	--	--	-
12	कर्नाटक	4123	--	--	-
13	केरल	2104	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	898	--	-
15	महाराष्ट्र	40276	417	--	-
16	मणिपुर	370	98	--	-
17	मेघालय	648	35	9	-
18	मिज़ोरम	539	38	--	-
19	नगालैंड	1601	32	--	-
20	उड़ीसा	13125	1425	83	18505
21	पुदुचेरी	287	--	--	1151
22	पंजाब	456	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6492	--	40	8634
25	तेलंगाना	5548	1205	--	-
26	त्रिपुरा	323	5	--	-
27	उत्तराखंड	89	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3096	78	--	-
29	पश्चिम बंगाल	10813	520	214	-
	<b>कुल</b>	<b>130861</b>	<b>7555</b>	<b>663</b>	<b>35090</b>

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं